BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 05 अप्रैल 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर गैंगस्टर के 02 आरोपी को 02-02 वर्ष का कारावास व 05-05 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त मोहन उर्फ मोहनपाल व बाली पुत्रगण बलराम निवासीगण ग्राम लछोई थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा संगठित गिरोह बनाकर डकैती, लूट, अपहरण, हत्या व जानलेवा हमला करने व जघन्य अपराध करके समाज में भय व आतंक व्याप्त करना जैसी दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 03.06.1997 को थाना अहार पर मुअसं- 57/97 धारा- 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 23.05.1998 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 05.04.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे-08 स्पेशल गैंगस्टर एक्ट जनपद बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त मोहन उर्फ मोहनपाल व बाली को 02-02 वर्ष का कारावास व 05-05 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री योगेश कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

अभियुक्त मोहन उर्फ मोहनपाल का आपराधिक इतिहासः-

1. मुअसं- 57/97 धारा- 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना अहार जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं- 83/12 धारा 302/506 भादवि थाना अहार जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअसं- 86/12 धारा 25 शस्त्र अधि0 थाना अहार जनपद बुलन्दशहर।
4. मुअसं- 294/21 धारा 147/323/504/506 भादवि थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।
5. मुअसं- 713/22 धारा 323/352/504/506 भादवि थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्त बाली का आपराधिक इतिहासः-

1. मुअसं- 57/97 धारा- 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना अहार जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं- 294/21 धारा 147/323/504/506 भादवि थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।

मीडिया सेल बुलन्दशहर